



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 श्रावण 1943 (श10)

(सं० पटना 695) पटना, मंगलवार, 17 अगस्त 2021

सं० 08/आरोप-01-05/2020/7131-सां०प्र०
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

15 जुलाई 2021

श्री संतोष कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-619/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्ता जमुई के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक-387 दिनांक 24.09.2020 द्वारा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं सरकारी कार्यों के सम्पादन में लापरवाही बरतने संबंधी आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।

उक्त के आधार पर विभागीय स्तर पर पुनर्गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 886 दिनांक 19.01.2021 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जो डाक विभाग द्वारा यह अंकित करते हुए वापस कर दिया गया कि "कार्यालय द्वारा बताया गया है कि 2020 माह अक्टूबर से अबतक अनुपस्थित है"

तत्पश्चात जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा को अभिलेख तामिला कराने हेतु विभागीय पत्रांक 2667 दिनांक 2.02.2021 द्वारा पत्र भेजा गया। जिला पदाधिकारी भोजपुर, आरा के पत्रांक 379 दिनांक 17.03.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री कुमार कार्यालय में दिनांक 19.09.2020 को योगदान देकर आजतक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है, जिसके कारण स्पष्टीकरण संबंधी पत्र उन्हें तामिला नहीं कराया जा सका। अतः श्री कुमार के अवासीय पता पर पत्र का तामिला कराया जाय। तदोपरांत श्री कुमार के गृह पता पर स्पष्टीकरण पूछने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। किंतु श्री कुमार का स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा।

उक्त वर्णित स्थिति में श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुमार अपने पदस्थापित स्थान पर योगदान देने के बाद अनाधिकृत रूप से बिना किसी सूचना/आवेदन के लगातार अनुपस्थित है। मुख्यालय स्तर के साथ-साथ जिला स्तर से किये गये किसी भी पत्राचार का कोई उत्तर उनके द्वारा नहीं दिया गया।

अतएव सम्यक् विचारोपरांत श्री संतोष कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-619/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्ता, जमुई के विरुद्ध गठित उक्त आरोपों की विस्तृत जांच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत कराने का निर्णय लिया गया है। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन

पदाधिकारी, आयुक्त मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी होंगे।

श्री कुमार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
मो० सिराजुद्दीन अंसारी,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 695-571+10-डी०टी०पी०
Website: <http://egazette.bih.nic.in>